भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2068** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण उद्योग

† 2068. श्री विष्णु दत्त शर्मा :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान, चीन और दक्षिण कोरिया की तुलना में भारत में घरेलू पोत निर्माण उद्योग बहुत कम है और विश्व के 75 प्रतिशत पोत निर्माण आर्डर चीन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत की माल ढुलाई क्षमता बहुत ही नगण्य है और वह अपनी मांग को पूरा करने में भी असमर्थ है और यह कि भारत ने केवल वित्तीय वर्ष 2023 में ही समुद्री माल भाड़े के लिए विदेशी पोत परिवहन कंपनियों को 75 बिलियन डॉलर का भुगतान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा दीर्घकालिक वित्तपोषण विकल्पों को सुकर बनाने के लिए पीएलआई योजना शुरू करने और पोत निर्माण क्षेत्र को अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): यूनाईट नेशन कान्फ्रन्स ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (यूएनसीटीएडी) (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन) की रिपोर्ट (2023) के अनुसार, सकल टन भार के संबंध में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया मिलकर वैश्विक पोत निर्माण बाज़ार में 90% से अधिक का योगदान करते हैं।

(ग) और (घ): अप्रैल, 2016 में शिपयार्डों को पहले से ही अवसंरचना स्थिति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत में "मेक इन इंडिया" नीति को बढ़ावा देने के लिए तथा पोत निर्माण उद्योग को समर्थन देने के लिए मंत्रालय ने भारतीय शिपयार्डों के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) योजना शुरू की है ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से ऑर्डर्स को प्राप्त किया जा सके और वैश्विक ऑर्डर्स हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। यह योजना 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2026 के बीच, पोत निर्माण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसकी वित्तीय सहायता दर 2016 में 20% से शुरू हुई जो 2026 में 11% तक कम हो जाएगी। अब तक, 45 शिपयार्डों को पंजीकृत किया गया है और 19 शिपयार्डों ने वित्तीय सहायता हासिल करते हुए इस योजना का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, 144 जलयानों के निर्माण और सुपूर्द करने के लिए 385.16 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

*****